तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम हुक्म की ... में जारी
	संस्थित करने की अनुमति के साथ यह वाद विड्रा करने की अनुमति दिए जाने का निवेदन किया। पत्रावली वास्ते उक्त प्रा पत्र पर उचित आदेशार्थ दिनांक 14/7/21 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
14/7/21	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उप०/ प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5, 9, 10, 11, 17, 18, 20, 21 को न्यायालय समय में रुक-रुककर आवाजें दी गई। उसके बाद भी उपस्थित नहीं। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रा. पत्र. अन्तर्गत आदेश 23 नियम (3) सपठित धारा 151 CPC का गत पेशी पर पेश किया गया था. जिसपर पत्रावली में कोई आपत्ति पेश नहीं की गई। वादी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया की वादी की ओर से भूलवश उसकी खरीदसुदा रकबा 12 बीघा भूमि के स्थान पर 4 बीघा के लिए ही दावा किया गया अथवा PHED व PWD को पक्षकार भी नहीं बनाया गया जिससे की प्रकपिक त्रुटि के कारण वाद विफल हो सकता है। अत: वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी अधिवक्ता को वाद विड्रो करने के साथ नया वाद प्रस्तुत करने की अनुमति के साथ उक्त वाद जरिए विड्रो खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर)	